रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23092026-276433
CG-DL-E-23092026-276433

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 763]	**नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 23, 2026/आश्विन 1, 1948**
No. 763]	**NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 23, 2026/ASVINA 1, 1948**

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

सा.का.नि. 833(अ).— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, समंक विधायन प्रभाग और सर्वेक्षण प्रतिदर्श और अनुसंधान प्रभाग, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2012, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (औद्योगिक सांख्यिकी खंड), कोलकाता, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, भर्ती नियम, 2023 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के क्षेत्र संकार्य प्रभाग, समन्वय और गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग और घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग में बहु-कार्य कर्मचारीवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, समन्वय एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग और घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग, बहु-कार्य कर्मचारीवृंद, भर्ती नियम, 2026 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर**:- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि**:- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता**:- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति**:- जहां केंद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति**:- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मेट्रिक्स में स्तर	चयन पद अथवा अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहु-कार्य कर्मचारीवृंद	442* (2026) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-1 (रुपये 18000-56900)	लागू नहीं होता ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए, सामान्य अभ्यर्थियों की दशा में 40 वर्ष तक और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की दशा में 45 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) **टिप्पण :** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाएगी।	**अनिवार्य:** किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन परीक्षा समतुल्य या उत्तीर्ण। **वांछनीय:** फ़ोटोकॉपी, डुप्लो, गेस्टेटनर और फ़ेक्स मशीन, आदि के प्रचालन का ज्ञान जिसके अंतर्गत कंप्यूटर चलाने का ज्ञान भी है। उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जो वाहन चला सकते हों (यदि उनके पास विधिमान्य चालन अनुज्ञप्ति हो)।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा। **टिप्पण 1:** पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष या अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां, केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी – (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हों; और (ख) जो स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 2:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक	लागू नहीं होता।

नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना ।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(12)	(13)
1. समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) दिल्ली में (क्षेत्र संकार्य प्रभाग मुख्यालय, कृषि सांख्यिकी अनुभाग, फरीदाबाद, उद्यम सर्वेक्षण इकाई, दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली तथा समन्वय और गुणवत्ता नियंत्रण प्रभाग) जिसमें निम्नलिखित होंगे:- (i) निदेशक (प्रशासन) या मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग (मुख्यालय) - अध्यक्ष; (ii) उप निदेशक, उद्यम सर्वेक्षण इकाई, दिल्ली — सदस्य; और, (iii) केंद्रीय सरकार के किसी अन्य कार्यालय से एक समूह 'क' अधिकारी — सदस्य । **2. समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचार करने के लिए) दिल्ली के अलावा अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में, जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:-** (i) राज्य की राजधानी में निदेशक (प्रदेशिक), — अध्यक्ष; (ii) उप निदेशक, उद्यम सर्वेक्षण प्रभाग या घरेलू सर्वेक्षण प्रभाग या क्षेत्र संकार्य प्रभाग (राज्य में अन्य प्रदेशिक कार्यालय) — सदस्य; और, (iii) केंद्रीय या राज्य सरकार के अन्य विभाग से सहयोजित उप निदेशक की पंक्ति का एक अधिकारी – सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. क-12018/02/2026-प्रशा.III (ई-90089)]

नीलम अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(National Statistics Office)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2026

G.S.R. 833(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Data Processing Division and Survey Design and Research Division, Multi-Tasking Staff, Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2012, the Ministry of Statistics and Programme Implementation, Central Statistical Office (Industrial Statistics Wing), Kolkata, Multi-Tasking Staff, Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2012 and the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Sample Survey Office, Field Operations Division, Multi-Tasking Staff, Recruitment Rules, 2023 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff, in the Field Operations Division, Coordination and Quality Control Division, Enterprise Survey Division and Household Survey Division, the National Statistics Office, the Ministry of Statistics and Programme Implementation, namely:-

1. **Short title and commencement**.– (1) These rules may be called the Ministry of Statistics and Programme Implementation, National Statistics Office, Field Operations Division, Coordination and Quality Control Division, Enterprise Survey Division and Household Survey Division, Multi-Tasking Staff, Recruitment Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

2. **Number of post**, **classification and Level in Pay Matrix**. – The number of post, its classification and level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc**.– The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**.– No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax**.– Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**.– Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in Pay Matrix.	Whether Selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Multi-Tasking Staff.	442*(2026) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-1 (Rs.18000-56900).	Not applicable.

Age limit of direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any
(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years (relaxable for Government Servant up to the age of forty years in case of general candidates and upto forty five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Caste and the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time) **Note:** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	**Essential:** Matriculation Examination pass from a recognised Board or equivalent. **Desirable:** Knowledge of operating of photocopying, Duplo, Gestetner and Fax Machine, etc. including knowledge to operate computer. Candidates who can drive vehicle (if, in possession of valid driving license) will be preferred.	Not applicable.	Two years.

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation / absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made.
(10)	(11)
By direct recruitment through Staff Selection Commission (SSC). **Note 1:** Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officials of the Central Government. (a) holding analogous posts on regular basis: and (b) possessing the qualifications and experience for direct recruits under column (7). **Note 2:** Period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
1. Group ‘C’ Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) in Delhi (Field Operations Division Hqrs., Agricultural Statistics Wing, Faridabad, Enterprise Survey Unit, Delhi, Regional Office, Delhi and Coordination and Quality Control Division) consisting of:- (i) Director (Administration) or Chief Administrative Officer, National Statistics Office, Field Operations Division (Headquarter) - Chairperson; (ii) Deputy Director, Enterprise Survey Unit, Delhi - Member; and, (iii) A Group ‘A’ Officer from other Central Government Offices – Member. **2. Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) in States or Union Territories other than Delhi, consisting of :-** (i) Director (Region) at State Capital - Chairperson; (ii) Deputy Director, Enterprise Survey Division or Household Survey Division or Field Operations Division (other Regional Offices in the State) - Member; and, (iii) An Officer of the rank of Deputy Director to be co-opted from other the Central or the State Government Department – Member.	Not applicable.

[F. No. A-12018/02/2026-Ad.III (E-90089)]

NEELAM ARORA, Under Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA